भारत-सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 121 जिसका उत्तर
बृहस्पतिवार, 05 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया जाना है

नाविकों के लिए कल्याण योजना

121. डा.टी.सुब्बारामी रेड्डीः

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नाविकों से संबंधित कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस तरह की कल्याण योजनाओं को अन्तिम रूप देने से पहले विभिन्न पणधारियों के साथ परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार देश में नाविकों के लिए ऐसी कल्याण योजनाओं को कब तक अंतिम रूप देने का विचार रखती है?

उत्तर
पोत परिवहन मंत्री
(श्री जी. के. वासन)

(क) से (ग): जी, हाँ । मासिक अनुग्रहि आर्थिक सहायता (एम ई एम ए) योजना 01.04.1978 से चल रही है । विदेश जाने वाले क्षेत्र में पंजीकृत भारतीय नाविक (विदेशी पताका वाले पोतों पर भारतीय) अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने/50 वर्ष अथवा अधिक की आयु हो जाने अथवा स्थाई रूप से विकलांग हो जाने और प्लस्तर चढ़ा दिए जाने, जिसके परिणामस्वरूप नाविकों के काम न कर पाने पर वे इस योजना के पात्र होते हैं । भारतीय नाविकों की विधवाएँ भी पात्र नाविक की मृत्यु की तारीख से उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं । उक्त योजना के अंतर्गत देय राशि, वर्तमान में 200/- रू प्रति नाविक और 400/- रू प्रति विधवा है । इसका भुगतान पात्र प्राप्तकर्ताओं के बैंक खातों में सीधे अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जा रहा है । इस योजना का लाभ वर्तमान में केवल पंजीकृत नाविकों को ही दिया जाता है । इस प्रयोजन से धन उपलब्धता की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए और योजना को जल्द से जल्द सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर लिए गए हैं :

i. भुगतान के लिए बकाया सभी देयताओं को नौवहन कंपनियों से जुटाना ।
ii. निर्धारित देयताओं की मौजूदा वसूली को बढ़ाना ।
iii. वर्ष 2004 में निर्धारित किया गया सांविधिक शुल्क अगस्त 2011 से 250/- रू से संशोधित करके 500/- रू प्रति भारतीय नाविक प्रतिवर्ष कर दिया गया है ।
iv. पंजीकृत नाविकों के अलावा विदेश जाने वाले पोतों पर भारतीय नाविकों (भारतीय पताका) को शामिल करने के लिए शुल्क संरचना के आधार को व्यापक बनाना ।
v. उक्त योजना की मौजूदा निधि को बढ़ाने की संभावना को तलाशना जिसमें रजिस्टर्ड प्लेसमैन्ट सर्विस लाइसेंस धारकों के मार्ग द्वारा इसे किया जाना शामिल है ।

इस विषय पर संबंधित हिस्सेदारों से 2010 में हुई राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड (एन डब्ल्यू बी एस) की बैठक और नाविकों की कल्याण निधि के प्रबंधन की सोसाइटी (एस डब्ल्यू एफ एस) समिति की 8 नवंबर, 2012 को हुई बैठक में विचार विमर्श किया गया है ।

*****